न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
63 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	16.06.2015	26.12.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री राधाकिशन विजय जाति महाजन निवासी सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक मैसर्स के.आर. ट्रैडर्स सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक
2– मैसर्स के.आर. ट्रैडर्स सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक
3–श्री मंशा राम पुत्र श्री भुवनेश्वर निवासी 707 गुलाबबाग दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नॉमिनी मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0
4– मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0
5–श्री सौरभ जैन (ज्वाइन्ट वेन्चर) पुत्र श्री यतेन्द्र कुमार जैन निवासी मकान नं. 122 फंन्टियर कॉलोनी आर्दश नगर जयपुर प्रो0 मैसर्स विभा मसाला उधोग पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर
6– मैसर्स विभा मसाला उधोग पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2
2–श्री सौरभ जैन,अप्रार्थी संख्या 3 ता. 6 की और से स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 26.12.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2015 को समय 4.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स के.आर. ट्रैडर्स सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक पर पहुंचां। विक्रेता एंव प्रोपराइटर की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री राधाकिशन विजय जाति महाजन निवासी सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक मैसर्स के.आर. ट्रैडर्स सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

993

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे पैक्ड अवस्था मे **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. 11 व पैकिंग दिनांक फरवरी 2015 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र कुमार विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र कुमार विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500 ग्राम पैक के लगभग 20 पैकट पैक्ड अवस्था मे **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)**रखे हुये मे से 500 ग्राम के चार पैकट वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र कुमार विजय को रू0 320/–अक्षरे तीन सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)** 500 ग्राम के 4 पैकट प्रत्येक 500 ग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–898 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–898 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. राजेन्द्र कुमार विजय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राजेन्द्र कुमार विजय ने मौके पर **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)** बतोर वारन्टी मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0 का बिल क्रमांक 11875 दिनांक 23.02.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0 ने मैसर्स विभा मसाला उधोग पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर का बिल क्रमांक 19 दिनांक 25.12.2014 की छायाप्रति प्रति पेश की

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1240 दिनांक 15.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/137/एक्ट/2015/134 दिनांक 12.03.2015 अनुसार राजेन्द्र कुमार विजय से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3 (1)(zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता. 6 द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पाउडर (ओ.एस.एफ.ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री राधाकिशन विजय जाति महाजन निवासी सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक मैसर्स के.आर. ट्रैडर्स सब्जी मण्डी बडां कुंआ टोंक पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री मंशा राम पुत्र श्री भुवनेश्वर निवासी 707 गुलाबबाग दायरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नॉमिनी मैसर्स उत्तम चन्द देशराज पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर राज0पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री सौरभ जैन (ज्वाइन्ट वेन्चर) पुत्र श्री यतेन्द्र कुमार जैन निवासी मकान नं. 122 फंन्टियर कॉलोनी आर्दश नगर जयपुर प्रो0 मैसर्स विभा मसाला उधोग पुरोहित पाडा ब्रहापुरी जयपुर पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.12.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: